पर आवेदा दिनांक 20/6/16 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

राजस्व विविध सं. 38/2012 सोहनसिंह वगैरा बनामः दरगी वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955

दिनांक 20.06.2016

पक्षकारान उपस्थित।

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–कोरटा में बरोज आज पेश हुई। लोक अदालत की भावना से हमने, पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप इस पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड स्थिति अनुसार सरहद मौजा कोरटा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 418, 418/974, 418/975 कुल रकबा 10.73 हेक्टर से संबंधित पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तहत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 36/2012 बअनवान– सोहनसिंह वगैरा बनामः दरगी वगैरा गत् आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2013 केम्प कोरटा में दिनांक 17.01.2013 को निर्णित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण की कार्यवाही को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः इस प्रकरण की कार्यवाही को खारिज किया जाता है।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 20.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–कोरटा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो तथा संबंधित मूल वाद पत्रावली के साथ नत्थी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner